रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042021-226769 CG-DL-E-27042021-226769

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234] No. 234] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 2021/वैशाख 7, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 2021/VAISAKHA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2021

सं.-07/2021-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 292 (अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में, नियम 26 के उपनियम (1) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

2403 GI/2021 (1)

"परंतु यह भी कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 27 अप्रैल, 2021 से 31 मई, 2021 तक की अविध के दौरान, धारा 39 के तहत प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को एवं धारा 37 के तहत प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किये जाने वाले जावक प्रदायों के ब्यौरे को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमित है।"

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/08/2020- जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम को सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 03/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया और सा.का.नि. सं. 2(अ), तारीख 01 जनवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 01/2021- केन्द्रीय कर, तारीख 01 जनवरी, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2021

No. 07/2021-Central Tax

G.S.R. 292(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

- 1. (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2021.
 - (2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 26 in sub-rule (1), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 27th day of April, 2021 to the 31st day of May, 2021, also be allowed to furnish the return under section 39 in **FORM GSTR-3B** and the details of outward supplies under section 37 in **FORM GSTR-1** or using invoice furnishing facility, verified through electronic verification code (EVC)."

[F. No. CBEC-20/06/08/2020-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* number G.S.R. 610 (E), dated the 19th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 01/2021-Central Tax, dated the 1st January, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 2(E), dated the 1st January, 2021.